अनुदान संख्या 13 - औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग
GRANT No. 13–DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*				
पूरक	*Supplementary*	*46,00*	*46,00*	*45,44*	*–56*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	634,29,00	634,31,00	459,40,51	–174,90,49
पूरक	Supplementary	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				170,60,00
पूंजीगत:	**Capital:**				
प्रभारित-	*Charged–*				
पूरक	*Supplementary*	*39,00*	*39,00*	*38,48*	*–52*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	6,00,00	7,65,00	7,64,22	–78
पूरक	Supplementary	1,65,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	5500.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–5500.00			
मुख्य शीर्ष "2070'' अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Major Head "2070" Other Administrative Services				
मू.	O.	1350.00	1333.00	1247.13	–85.87
पु.	R.	–17.00			
मुख्य शीर्ष "2852'' उद्योग	Major Head "2852" Industries				
मू.	O.	45506.00	24075.75	23977.35	–98.40
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	–21431.25			
मुख्य शीर्ष "2885'' उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	Major Head "2885" Other Outlay on Industries and Minerals				
मू.	O.	5103.00	16024.20	16021.18	–3.02
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	10920.20			
मुख्य शीर्ष "3475'' अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Major Head "3475" Other General Economic Services				
मू.	O.	3895.00	2824.34	2626.51	–197.83
पु.	R.	–1070.66			

(I) 7406.00 लाख रु. का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 7400.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.7406.00 lakhs remained wholly unutilised under four heads; of these Rs.7400.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2885'' - ''पिछड़े क्षेत्रों का विकास - अन्य व्यय - अन्य एनसीएमपी पहल'' - 1900.00 लाख रु. स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(A) Major Head "2885" - "Development of backward areas - Other Expenditure - Other NCMP Initiative"- Rs. 1900.00 lakhs- due to non-approval of the scheme.

(खा) मुख्य शीर्ष ''2552'' - ''अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए प्रावधान'' - 5500.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण थे।

(B) Major Head "2552" - "Other Expenditure-Provision for North Eastern Region and Sikkim" - Rs.5500.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to the functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष ''2070'' - ''विस्फोटक - विस्फोटक विभाग'' के अंतर्गत 102.87 लाख रु. की बचत (1350.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, गैस मुक्त परीक्षण बिलों की अदायगी न किए जाने और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2070" - "Explosive - Department of Explosive" - saving of Rs.102.87 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1350.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non- payment of Gas Free Test bills and non-utilisation of funds by the Central Public Works Department.

(III) मुख्य शीर्ष ''2852'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई।

(III) Under Major Head "2852" - savings occurred under the following heads:-

(का) ''सीमेंट और अधात्विक खनिज उद्योग - अन्य - राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद'' - 200.00 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्वायत्तशासी संगठनों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए इनकी बजटीय सहायता में चरणबद्ध रूप से कमी किए जाने के कारण हुई।

(A) "Cement and Non-metallic Mineral Industries - Others - National Council for Cement and Building Materials" - saving of Rs.200.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to phased reduction in budgetary support to Autonomous Organisations in order to make them financially self sufficient.

(खा) ''सामान्य'' -

(B) "General" -

(क) ''औद्योगिक शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण - विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी योजना से संबंधित व्यय'' - 590.00 लाख रु. की बचत (2066.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विद्यमान परियोजनाओं को निष्पादित न किए जाने और नई परियोजनाओं को स्वीकृत न किए जाने के कारण हुई।

(a) "Industrial Education Research and Training - Expenditure in connection with Science and Technology Plan"- saving of Rs.590.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2066.00 lakhs) was due to non-execution of existing projects and non-sanctioning of new projects.

(ख) ''मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण - भारतीय गुणवत्ता परिषद'' - 175.00 लाख रु. की बचत (200.00

(b) "Standardisation and Quality Control - Quality Council of India" - saving of Rs.175.00 lakhs (against the sanctioned

लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय गुणवत्ता परिषद् द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता अभियान को प्रस्तुत संशोधित स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(गा) ''अन्य व्यय'' -

(क) 'उपक्रम निवेश संवर्धन क्रियाकलाप' - 1096.86 लाख रु. की बचत (1300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विदेश में निवेश संवर्धन समारोहों के आयोजनों की कम संख्या होने और एबिज परियोजना को पूरा करने में विलंब होने के कारण हुई।

(ख) ''भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम' - 4397.81 लाख रु. की बचत (7500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यक्रम की विलंब से अधिसूचना जारी किए जाने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

(ग) ''औद्योगिक अध:संरचना उन्नयन स्कीम'' - 15003.32 लाख रु. की बचत (27500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(घ) 'राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक परिषद' - 177.02 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा विज्ञान भवन एनेक्सी मेंनवीकरण कार्य को पूरा न किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''3475'' के अंतर्गत -

(क) 'पेटेंटों, डिजाइनों और ट्रेडमार्कों का विनियमन - पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक' - 1159.08 लाख रु. की बचत (3535.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ट्रेडमार्क रजिस्ट्री से संबंधित आधुनिकीकरण परियोजना की संशोधित लागत को अनुमोदन प्रदान न किए जाने, कंप्यूटरीकरण संघटक के कार्यान्वयन में विलंब होने, रिक्त पदों के न भरे जाने और कम चिकित्सा दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

provision of Rs.200.00 lakhs) was due to non-approval of the revised scheme submitted by Quality Council of India to National Quality Campaign.

(C) "Other Expenditure" -

(a) "Undertaking Investment Promotion Activities" - saving of Rs.1096.86 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1300.00 lakhs) was due to organisation of less number of Investment Promotion events abroad and delay in completion of ebiz project.

(b) "Indian Leather Development Programmes" - saving of Rs.4397.81 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7500.00 lakhs) was due to late notification of programmes and non-submission of Detailed Project Report.

(c) "Industrial Infrastructure Upgradation Scheme" - saving of Rs.15003.32 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.27500.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from the implementing agencies.

(d) "National Manufacturing Competitiveness Council" - saving of Rs.177.02 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs) was due to non-completion of renovation work at Vigyan Bhavan Annexe by the Central Public Works Department.

(IV) Under Major Head "3475" -

(a) "Regulation of Patents, Designs and Trade Marks - Controller General of Patents, Designs and Trade Marks"- saving of Rs.1159.08 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3535.00 lakhs) was due to non-approval of the revised cost of modernisation project of Trade Marks Registry, delay in implementation of component of computerisation, non-filling up of vacant posts and receipt of less medical claims.

(ख) ''अन्य व्यय - आर्थिक सलाहकार' - 109.41 लाख रु. की बचत (360.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रक्रियात्मक कारणों से अधिकारियों की भर्ती में विलंब होने, रिक्त पदों के न भरे जाने, कम चिकित्सा दावे प्राप्त होने और आठ क्षेत्रों में से चार के संबंध में अध्ययनों को न सौंपे जाने के कारण हुई।

(V) दो शीर्षों के अंतर्गत 160.83 लाख रु. की बचेंतहुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 17 प्रतिशत और लगभग 100 प्रतिशत थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (13038.50 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अगस्त, 2005 और मार्च, 2006 में प्रत्येक में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2852'' - ''उपभोक्ता उद्योग - अन्य - नमक'' - 231.75 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 203.04 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2885'' - ''पिछड़े क्षेत्रों का विकास - आर्थिक सहायता' -

(क) ''चयनित पिछड़े क्षेत्रों में नई औद्योगिक इकाइयों आदि को आर्थिक सहायता' - 10259.75 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 10258.75 लाख रु. था।

(ख) ''विकास केंद्र'' - 2547.00 लाख रु.।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 99.00 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 9900 प्रतिशत था।

(b) "Other Expenditure - Economic Advisor" - saving of Rs.109.41 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.360.00 lakhs) was due to delay in recruitment of officers on account of procedural reasons, non-filling up of vacant posts, receipt of less medical claims and non-award of studies relating to four sectors out of eight.

(V) Under two heads savings of Rs.160.83 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 17 percent and nearly 100 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.13038.50 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh each in August, 2005 and March, 2006 - under the following major heads:-

(A) Major Head "2852"- "Consumer Industries - Others - Salt" - Rs.231.75 lakhs. Actual excess, however, was Rs.203.04 lakhs.

(B) Major Head "2885"-"Development of backward areas - Subsidies"-

(a) "Subsidy to new Industrial Units etc. in selected backward areas" - Rs.10259.75 lakhs. Actual excess, however, was Rs.10258.75 lakhs.

(b) "Growth Centres" - Rs.2547.00 lakhs.

(II) Under one head excess of Rs.99.00 lakhs occurred constituting 9900 percent of the sanctioned provision.